



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 629]

नई दिल्ली, बुधवार, नवम्बर 4, 2009/कार्तिक 13, 1931

No. 629]

NEW DELHI, WEDNESDAY, NOVEMBER 4, 2009/KARTIKA 13, 1931

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 26 अक्टूबर, 2009

सा.का.नि. 793(अ).—केन्द्रीय सरकार, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 (2006 का 27) की धारा 29 की उप-धारा (2) के खण्ड (ड) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास (सूचना का दिया जाना) नियम, 2009 है।

(2) ये राजपत्र में अपने प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. परिभाषाएं.—(1) इन नियमों में जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हों,—

(क) "अधिनियम" से सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 (2006 का 27) अभिप्रेत है;

(ख) "सूचना" से नियम 3 में यथाविनिर्दिष्ट कोई सूचना अभिप्रेत है और इसके अंतर्गत ठोस प्रति या साफ्ट प्रति में कोई दस्तावेज है;

(ग) "अधिकारी" से अधिनियम की धारा 26 की उप-धारा (1) के अधीन नियुक्त अधिकारी अभिप्रेत है।

(2) इन नियमों में प्रयुक्त ऐसे शब्द और पद जो परिभाषित नहीं हैं किन्तु अधिनियम में परिभाषित हैं के वही अर्थ होंगे जो अधिनियम में हैं।

3. सूचना.—अधिकारी अधिनियम के प्रयोजनों के लिए किसी व्यक्ति से आदेश द्वारा निम्नलिखित सूचना देने की अपेक्षा कर सकेगा, अर्थात् :—

(क) अधिनियम की धारा 7 की उप-धारा (1) में यथाविनिर्दिष्ट माल के विनिर्माण में लगे उद्यमों की दशा में संयंत्र और मशीनरी में विनिधान; या

(ख) अधिनियम की धारा 7 की उप-धारा (1) के खण्ड (ख) में यथाविनिर्दिष्ट सेवाएं देने में लगे उद्यमों की दशा में उपस्कर में विनिधान।

4. अधिकारी को सूचना देना.—(1) सूचना इन नियमों से उपाबद्ध प्ररूप में अधिकारी को दी जाएगी और यथास्थिति डाक या व्यक्तिगत रूप से भेजी जाएगी।

- (2) सूचना के प्राप्त होने पर इसे सम्यक् रूप से रजिस्टर किया जाएगा और एक क्रम संख्या दी जाएगी।
 (3) प्रस्तुतीकरण के ब्यौरे और सूचना की प्राप्ति अधिकारी द्वारा बनाए रखे गए रजिस्टर में सम्यक् रूप से प्रविष्ट की जाएगी।

[फा. सं. 2(3)(1)/2007-एमएसएमई पोल. पीटी.]

माधव लाल, अपर सचिव और विकास आयुक्त

प्ररूप

(नियम 4 देखिए)

संयंत्र और मशीनरी या उपस्कर में विनिधान के मूल्यांकन के लिए दी जाने वाली सूचना का प्ररूप

1. आदेश की तारीख और संख्या जिसके अधीन सूचना मांगी गई है :
2. उद्यम का नाम :
3. उद्यमी की ज्ञापन संख्या और तारीख :
4. उद्यम का पता :
5. मुख्य कार्यपालक या निदेशक या प्रबंधक या मालिक का नाम :
6. कम्पनी/सीमित दायित्व भागीदारी फर्म के रजिस्ट्रीकृत कार्यालय का पता :
7. मांगी गई सूचना के ब्यौरे :

क्रम संख्या	लगाए गए संयंत्र और मशीनरी या उपस्कर की स्थिति	लगाए जाने का मास और वर्ष	मद-वार क्रय मूल्य	परिभाषा प्रयोजनों के लिए संगणना से अपवर्जित मशीनरी या उपस्कर	कोई अन्य सूचना	टिप्पणी
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)

8. कोई अन्य सुसंगत सूचना, यदि कोई हो :

9. संलग्नकों की सूची :

(1) पैरा 7 के स्तंभ (4) में वर्णित मशीन या उपस्कर के मूल्य के सबूत के रूप में बिल या बीजक या नकद प्राप्ति (स्व-प्रमाणित) संलग्न है।

(2) पैरा 7 के स्तंभ (5) के समर्थन में दस्तावेज

घोषणा

मैं (नाम मोटे अक्षरों में) पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री यह घोषित करता हूँ/करती हूँ कि पैरा 1 से 9 तक की सूचना और विशिष्टियां मेरे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास से सत्य और सही हैं और मैंने इससे संबंधित कोई महत्वपूर्ण तथ्य नहीं छिपाए हैं।

स्थान :

तारीख :

मुख्य कार्यपालक/निदेशक/प्रबंधक/मालिक के हस्ताक्षर मुद्रा सहित

सेवा में

()

अधिकारी का नाम

पदनाम, पता

MINISTRY OF MICRO, SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES

NOTIFICATION

New Delhi, the 26th October, 2009

G.S.R. 793(E).—In exercise of the powers conferred by clause (e) of sub-section (2) of Section 29 of the Micro, Small and Medium Enterprises Development Act, 2006 (27 of 2006), the Central Government hereby makes the following rules, namely:—

1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Micro, Small and Medium Enterprises Development (Furnishing of Information) Rules, 2009.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Definitions.—(1) In these rules, unless the context otherwise requires,—

(a) “Act” means the Micro, Small and Medium Enterprises Development Act, 2006 (27 of 2006);

(b) “Information” means any information as specified in rule 3 and includes any document in hard copy or soft copy;

(c) “Officer” means the officer appointed under sub-section (1) of Section 26 of the Act.

(2) Words and expressions used in these rules and not defined but defined in the Act shall have the same meanings as assigned to them in the Act.

3. Information.—The Officer may, for the purposes of the Act, by order require any person to furnish the following information, namely:—

(a) investment in plant and machinery in the case of enterprises engaged in the manufacture of goods as specified in clause (a) of sub-section (1) of Section 7 of the Act; or

(b) investment in equipment in the case of enterprises engaged in rendering services as specified in clause (b) of sub-section (1) of Section 7 of the Act.

4. Furnishing of information to the Officer.—(1) The information shall be furnished to the Officer in the Form annexed to these rules and sent by registered post or in person, as the case may be.

(2) On receipt of information, it shall be duly registered and given a serial number.

(3) The details of presentation and receipt of information shall be duly entered in the register maintained by the Officer.

[F.No. 2(3)(1)/2007-MSME Pol.-Pt.]

MADHAV LAL, Additional Secy. and Development Commissioner

FORM

(see rule 4)

FORM FOR INFORMATION TO BE FURNISHED FOR ASSESSMENT OF INVESTMENT IN PLANT AND MACHINERY OR EQUIPMENT

1. Date and number of the order under which information is sought :
2. Name of the Enterprise :
3. Entrepreneurs' Memorandum Number and date :
4. Address of the Enterprise :
5. Name of the Chief Executive or Director or Manager or Proprietor :
6. Address of the registered office of the Company/Limited Liability Partnership Firm :
7. The details of the information sought :

Sl. No.	List of plant and machinery or equipment installed	Month and year of installation	Purchase value item-wise (in Rs. lakhs)	Machinery or equipment excluded for computation for definition purposes	Any other information	Remarks
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)

8. Any other relevant information, if any :

9. List of enclosures :—

- (1) bill or Invoice or Cash Receipt (Self-certified) are enclosed as a proof of the value of machine or equipment mentioned in column (4) of Para 7,
- (2) document in support of column (5) of Para 7.

DECLARATION

I.....(Name in full in block letters), son/daughter/wife of Shri.....do hereby declare that the information and particulars in Paras 1 to 9 are true and correct to my best knowledge and belief and I have not suppressed any material facts relating thereto.

Place :

Date :

Signature of the Chief Executive/Director/Manager/Proprietor with seal

To,

()

Name of the Officer

Designation

Address